

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(या)()/डीएलबी/2022/2007-2013

1. उपनिदेशक(क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान,
2. आयुक्त,
नगर निगम
समस्त राजस्थान।

2014-2023

"By e-mail"
अध्यक्षक

दिनांक: 31-1-2023

विषय:- डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 21514-21763 दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 1189-1202 दिनांक 23.01.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक 20178 दिनांक 28.11.2022 द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप डेयरी बूथों का आवंटन निकाय स्तर पर करने हेतु स्थान चिन्हित कर बूथ आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 15.02.2023 तक करते हुए विभाग को अवगत करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(क)(या)()/डीएलबी/2022/2024-2261

दिनांक: 31-1-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
6. उपायुक्त यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय।
9. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी